

राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा  
69/2020

किस्म मुकदमा  
धारा 91 एल.आर.एक्ट 25.06.2020

निर्णय दिनांक  
31.12.2020

उनवान सरकार बनाम ईश्वर पुत्र हरदयान जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्वत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सहड़ की राजकीय भूमि ख0 न0 209 कुल रकबा 31.50 है0 किस्म गै0 मु0 जोहड मे से 0.23 है0 भूमि पर अतिक्रमी ईश्वर पुत्र हरदयान जाति अहीर निवासी सहड़ ने अवैध रूप से तारबाड़ व जोत लगाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में तारबाड़ व जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से तारबाड़ व जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 7.90/- का अतिक्रमण शुदा भूमि लगान 1.60 की 50 गुणा जुर्माना राशि 9.60/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हों तथा नुम्बर शुगार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा.सं. 4 वर्ष 8090-81 के प.सं. 76  
पर 8/- की भांग कायम की गई।

(लक्ष्मीनारायण घादत)  
नायब तहसीलदार बुहाना

Suman  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील बुहाना